न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः 41/2023

प्रार्थी

धनराज पुत्र चमनाजी, जाति– पुरोहित, निवासी–मनोरा, तह0 व जिला सिरोही (राज.)

बनाम

अप्रार्थीगण

1. सन्तोष पत्नी श्री शान्तिलाल उर्फ उत्तम, जाति– पुरोहित, निवासी– मनोरा, तहसील व जिला सिरोही (राज.)
2. ग्राम पंचायत मनोरा जरिये सरपंच, तहसील व जिला सिरोही (राज.)

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

(1) अधिवक्ता श्री फिरोज पठान, प्रार्थी निगरानीकार की ओर से
(2) अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित, अप्रार्थी संख्या 1 (एक) संतोष की ओर से

–: निर्णयः–

दिनांक 18–5–2026

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी निगरानीकार द्वारा यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, मनोरा द्वारा अप्रार्थी सन्तोष पुरोहित पत्नी उत्तम जी, निवासी–मनोरा के हक में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी पट्टा विलेख संख्या 33 दिनांक 17–7–2014 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। जिस पर निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 1 (एक) सन्तोष की ओर से अधिवक्ता श्री दिलोप राजपुरोहित उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या 1 (एक) सन्तोष की ओर से जबाव प्रस्तुत किया। जबकि अप्रार्थी संख्या 2 (दो) को नोटिस की तामिल होने के बावजूद उपस्थित नही हुये।

(3) प्रकरण में दिनांक 13–5–2026 को बहस सुनी गई। प्रार्थी निगरानीकार के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान निगरानी आवेदन में अंकित कथनों व तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह कि ग्राम पंचायत, मनोरा द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 (एक) के हक में पट्टा संख्या 33 दिनांक 17–7–2014 को गलत एवं विधि विरूद्ध तरीके से जारी किया गया है तथा उक्त पट्टा जिस जगह का जारी किया है उसी जगह का पूर्व में ग्राम पंचायत, मनोरा द्वारा पट्टा संख्या 37 दिनांक 29–10–2001 को प्रशासन गांवो के संग के अभियान में कानाराम, कस्तुरमल, धनराज, शान्तिलाल उर्फ उत्तम पुत्र चमनाजी पुरोहित, निवासी– मनोरा के संयुक्त नाम से जारी किया गया था। अप्रार्थी संख्या 1 (एक) ने ग्राम पंचायत, मनोरा के साथ मिलीभगत कर ग्राम पंचायत को गलत तथ्य प्रस्तुत कर पट्टे के ऊपर दूसरा पट्टा जारी करवाया है जो विधि विरुद्ध है। अप्रार्थी संख्या 1 (एक) को यह जानकारी थी कि पूर्व में प्रार्थी व उसके भाईयों के नाम से संयुक्त पट्टा बना हुआ हैं लेकिन उक्त तथ्य को छुपाते हुए अप्रार्थी संख्या 1 (एक) ने ग्राम पंचायत, मनोरा के सरपंच से मेल मिलाप कर ग लत तथ्यों के आधार पर कुटरचित तरीके से जारी करवाया है जो निरस्त करने योग्य है। पट्टा संख्या 33 का भूखण्ड़ मय मकान जो कि अप्रार्थी संख्या 1 (एक) के पुराने कब्जे भोगवटे का बताकर पट्टा जारी किया गया है, जबकि उक्त विवादित भूखण्ड़ मय मकान प्रार्थी व उसके भाईयों के संयुक्त स्वामित्व का था जिसका पूर्व में ग्राम पंचायत, मनोरा से पट्टा बना हुआ था। अप्रार्थी संख्या 1 (एक) ने ग्राम पंचायत से मिलीभगत कर उक्त पट्टे को

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

बनाने के लिए दो गवाहो के शपथ पत्र में गलत तथ्य अंकित करवाकर ग्राम पंचायत, मनोरा ने मौके का भौतिक सत्यापन किये बिना उक्त पट्टा जारी किया है। अप्रार्थी संख्या 1 (एक) को तथा वार्ड पंच, गवाह व सरपंच, ग्राम पंचायत, मनोरा को पूर्व में बने हुए पट्टे की पूर्ण जानकारी थी उसके बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 1 (एक) व ग्राम पंचायत, मनोरा के सरपंच ने मिलीभगत कर कुटरचित दस्तावेज तैयार कर उक्त पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 (एक) के नाम पर बिना प्रस्ताव लिये जारी किया है। यह कि प्रार्थी के नाम से बने पट्टे पर प्रार्थी अपने हिस्से में निर्माण कर निवास कर रहा हैं। ग्राम पंचायत, मनोरा ने मौके का निरीक्षण व सत्यापन किये बिना व अडौस पडौस के बयान लिये बगैर उक्त पट्टा आनन फानन में अप्रार्थी संख्या 1 (एक) के नाम पर जारी कर दिया। जबकि प्रार्थी उक्त भूखण्ड़ पर जन्म से ही निवास कर रहा था। प्रार्थी के माता–पिता की मृत्यु के पश्चात् भी प्रार्थी उक्त भूखण्ड़ पर निवास कर रहा हैं। अप्रार्थी संख्या 1 (एक) ने उक्त प्रश्नगत भूखण्ड़ मय मकान को स्वयं के कब्जे का बताकर गलत शपथ पत्र देकर पंचायत से मिलीभगत कर उक्त पट्टा जारी करवाया है और ग्राम पंचायत, मनोरा ने भी विधिवत आपत्ति नोटिस नहीं निकाल कर व प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना छपे छपाए प्रपत्रो का उपयोग कर अनियमितता बरतते हुए पट्टा जारी किया है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, मनोरा द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 (एक) के हक में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी पट्टा विलेख संख्या 33 दिनांक 17–7–2014 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 (एक) सन्तोष के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान, अप्रार्थी संख्या 1 (एक) के जबाव में अंकित कथनों व तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम मनोरा में अप्रार्थी संख्या 1 (एक) का पुराना कब्जा व कच्चा केलुपोश का मकान होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत पट्टा संख्या 33 दिनांक 17–7–2014 को जारी किया गया है। ग्राम पंचायत, मनोरा द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 (एक) को जिस मकान का पट्टा संख्या 33 दिनांक 17–7–2014 को जारी किया गया हैं उक्त मकान का स्वामित्व अप्रार्थी संख्या 1 (एक) के पक्ष में निहित होने के कारण नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है। यह सही है कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा 37 दिनांक 29–10–2001 को जारी किया गया था परन्तु उक्त पट्टा संख्या 37 को प्रार्थी की माता चम्पा बेवा चमनाजी द्वारा आपसी बंटवारे में उक्त मकान अप्रार्थी संख्या 1 (एक) के हिस्से में आने से दिनांक 07–01–2013 को ग्राम पंचायत की बैठक में मूल पट्टा संख्या 37 बुक संख्या 03 मिसल संख्या 57 दिनांक 29–10–2001 का ग्राम पंचायत में जमा करवाकर समर्पण किया गया था तथा ग्राम पंचायत द्वारा उस बैठक दिनांक 07–01–2013 को पारित प्रस्ताव संख्या 03 के जरिये उक्त पट्टा संख्या 37 का समर्पण स्वीकार कर मूल पट्टा ग्राम पंचायत कार्यालय में जमा किया गया था जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी के पास वर्तमान में पट्टा संख्या 37 की मूल प्रति उपलब्ध नहीं है लेकिन प्रार्थी द्वारा अपनी माता की मृत्यु के बाद अप्रार्थी संख्या 1 (एक) को ब्लैकमेल करने की नियत से झूठे तथ्यों के आधार पर यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है। प्रार्थी की माता द्वारा पट्टा संख्या 37 दिनांक 29–10–2001 को ग्राम पंचायत, मनोरा में समर्पण करने के बाद उस पट्टे शुदा मकान का स्वामित्व ग्राम पंचायत में निहित हो गया तथा उक्त मकान पर कब्जा व स्वामित्व अप्रार्थी संख्या 1 (एक) का होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 (एक) द्वारा नियमानुसार पुराने गृह का विनियमितीकरण करवाने के लिए नियम 157 के तहत पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार मौका कमेटी गठित कर व संबंधित गवाहों के बयान लेखबद्ध कर पूर्ण विहित प्रक्रिया का पालन कर उक्त पट्टा जारी किया गया है। जिसमें किसी भी प्रकार के दस्तावेज की कुटरचना नहीं की

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *

गई तथा जिस मकान का पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 (एक) के नाम से जारी किया गया है उक्त मकान पर अप्रार्थी संख्या 1 (एक) द्वारा दिनांक 10–07–2008 को अपने नाम से विद्युत कनेक्शन प्राप्त किया था जिसका उपयोग निरन्तर व लगातार अप्रार्थी संख्या 1 (एक) द्वारा ही किया जा रहा है व उसी अनुरूप विद्युत बिल का भुगतान भी अप्रार्थी संख्या 1(एक) द्वारा किया जा रहा है। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी ने जानबूझकर अप्रार्थी संख्या 1 (एक) के पति की मृत्यु होने के बाद अप्रार्थी संख्या 1 (एक) के कोई पुत्र नहीं होने व केवल पुत्रीयां होने से अप्रार्थी संख्या 1(एक) के मकान को हड़पने के लिए झूठे तथ्यों के आधार पर यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त पट्टे वाली भूमि व मकान पर कभी भी प्रार्थी ने निवास नहीं किया बल्कि प्रार्थी का मकान प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 (एक) की रूपान्तरित आबादी भूमि पर बना हुआ है तथा वर्ष 2013 में प्रार्थी की माता द्वारा प्रार्थी व अन्य भाईयों की सहमति से ही उक्त पट्टा संख्या 37 का समर्पण किया था जिसे ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 07–01–2013 को स्वीकर किया था जिसे प्रार्थी द्वारा आज दिन तक किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी है व उस समर्पण के बाद प्रार्थी की माता की मृत्यु होने से लगभग 10 वर्ष बाद यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है, जो किसी भी प्रकार से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। विवादित भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 1 (एक) का पुराना कब्जा व केलुपोश मकान बना हुआ है तथा अप्रार्थी संख्या 1 (एक) अपने परिवार में महिला मुखिया होने से इसके द्वारा दिनांक 05–08–2013 को ग्राम पंचायत में नियम 157 के तहत् पुराने गृह का विनियमितिकरण करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार कार्यवाही खोलकर इस प्रार्थना पत्र को दिनांक 05–08–2013 की पंचायत बैठक में प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र को प्रस्ताव संख्या 03 के द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया व उपस्थित सदस्यों द्वारा नियम 146 की पालना में मौका निरीक्षण कमेटी का गठन किया गया एवं इस मौका कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 (एक) व उसके परिवार का मौके पर पुराना कब्जा होने का उल्लेख किया गया एवं इसका पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 (एक) के नाम जारी करने में कोई समस्या नहीं होने का उल्लेख किया गया तथा उसी समय अप्रार्थी संख्या 1 (एक) के कब्जे के संबंध में जांच करने के लिए स्वतंत्र गवाह के बयान लेखबद्ध किये गये। इस मौका रिपोर्ट को दिनांक 21–08–2013 की बैठक में प्रस्तुत किया गया तथा इसमें नियम 147 के तहत् अप्रार्थी संख्या 1 (एक) को पट्टा जारी करने का अस्थायी निर्णय लिया गया एवं नियम 148 के तहत् आपत्ति नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया जिसकी पालना में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 21–08–2013 को आम नोटिस जारी किये गये एवं उक्त नोटिसों को आम चौराहे, ग्राम पंचायत नोटिस बोर्ड व प्रस्तावित पट्टा भूमि पर गवाहान की मौजूदगी में चस्पा करवाये गये परन्तु बाद मियाद भी आपत्ति नोटिस पर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं आने से बैठक दिनांक 20–12–2013 के प्रस्ताव संख्या 03 के जरिये अप्रार्थी संख्या 1 (एक) के पक्ष में पट्टा जारी करने का निर्णय पारित किया गया एवं उसकी पालना में ही ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 17–07–2014 को पट्टा संख्या 33 जारी किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत, मनोरा द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियमों के तहत विहित सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया का पालन कर अप्रार्थी संख्या 1 (एक) के हक में नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन विरुद्ध अप्रार्थीगण खारिज किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 (एक) के अधिवक्ता के कथनों के जबाव में प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, मनोरा द्वारा पूर्व में पट्टा संख्या 37 दिनांक 29–10–2001 को प्रार्थी व उसके भाईयों के संयुक्त नाम से जारी किया गया था, लेकिन उक्त पट्टा संख्या 37 को ग्राम पंचायत में समर्पण प्रार्थी की माता द्वारा किया गया है जबकि प्रार्थी की माता को उक्त पट्टा संख्या 37 को समर्पण करने का कानूनन कोई हक नही था, क्योंकि उक्त पट्टा संख्या

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

37 का भूखण्ड़ मय मकान प्रार्थी व उसके भाईयों के स्वामित्व का था, लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 (एक) ने ग्राम पंचायत, मनोरा के सरपंच से मेल मिलाप कर प्रार्थी व उसके भाईयों की सहमति के बिना ही उक्त पट्टा संख्या 37 को प्रार्थी के माता के द्वारा समर्पण करवाया जाना बताकर गलत रुप से पट्टा संख्या 33 दिनांक 17–7–2014 को प्राप्त किया गया है। उक्त पट्टा संख्या 37, प्रार्थी व उसके भाईयों के नाम से बना हुआ था, लेकिन उक्त पट्टा संख्या 37 का समर्पण पट्टाधारक प्रार्थी व उसके भाईयों द्वारा नही किया गया है व न ही प्रार्थी व उसके भाईयों की सहमति ली गई है, इसलिये उक्त पट्टा संख्या 37 का समर्पण विधि अनुरुप नही है। इस प्रकार, पट्टा संख्या 37 दिनांक 29–10–2001 के अस्तित्व व प्रभाव में रहते हुए ग्राम पंचायत, मनोरा को उसी भूखण्ड मय मकान का पुनः पट्टा जारी करने का कानूनन कोई हक अधिकार नही है। उक्त विवादित पट्टा संख्या 33 के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज हुई है जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश है।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, मनोरा द्वारा सन्तोष पुरोहित पत्नी उत्तम जी, निवासी– मनोरा के हक में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत क्षेत्रफल 1800 वर्गफीट भूमि का पट्टा विलेख संख्या 33 दिनांक 17–7–2014 को जारी किया गया है, जो ग्राम पंचायत, मनोरा के संकल्प संख्या 03 दिनांक 20–12–2013 के अनुसरण में जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत, पुराने आवासीय गृहों का विनियमितिकरण करते हुए पट्टा जारी किये जाने का प्रावधान है।

इस संबंध में प्रार्थी निगरानीकार द्वारा निगरानी आवेदन में अंकित कथनों के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज की छाया प्रति के अवलोकन से यह पाया गया कि ग्राम पंचायत, मनोरा द्वारा पूर्व में पट्टा संख्या 37 दिनांक 29–10–2001 को क्षेत्रफल 1670.93 वर्गफीट भूमि का श्री कानाराम, कस्तूरमल, धनराज व शान्तिलाल पुत्र चमनाजी पुरोहित, निवासी– मनोरा के संयुक्त नाम से जारी किया गया है। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 (एक) संतोष की ओर से उसके जबाव में अंकित कथनों के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज, ग्राम पंचायत, मनोरा की बैठक दिनांक 07–01–2013 के प्रस्ताव संख्या 3 की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से यह पाया गया कि श्रीमती चम्पा पत्नी चमनाजी पुरोहित, निवासी– मनोरा द्वारा ग्राम पंचायत, मनोरा की बैठक में उपस्थित होकर एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रर्थीया के पुत्रों कानाराम, कस्तुरमल, धनराज व शान्तिलाल पुत्र चमनाजी पुरोहित के नाम दिनांक 29–10–2001 को पट्टा संख्या 37, बुक नं. 3, मिसल सं. 57/26–10–2001 प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2001 में पुराने गृहों के विनियमितिकेरण के तहत पुश्तैनी मकान का जारी किया गया था। उक्त पुश्तैनी मकान व प्रार्थीया के नाम की अन्य सम्पति का बंटवाड उसके सभी पुत्रों में आपसी रजामंदी से किया गया है। उक्त आपसी बंटवाडे में पट्टा संख्या 37 जारी दिनांक 29–10–2001 का पुश्तैनी मकान सन्तोष देवी पत्नी श्री उत्तम पुरोहित के हिस्से में आया है। चूंकि उक्त पुराने गृह का पट्टा पूर्व में कानाराम, कस्तुरमल, धनराज व शान्तिलाल पुत्र चमनाजी पुरोहित के नाम जारी है व उक्त पट्टेशुदा पुराना मकान संतोष देवी पत्नी स्व. श्री उत्तम पुरोहित के हक हिस्से में आपसी बंटवाड में आया है। उक्त पुराने गृह के वर्ष 2001 में जारी पट्टे को प्रार्थीया समर्पण करना चाहती है ताकि भविष्य में संतोष देवी पत्नी उत्तम जी पुरोहित ग्राम पंचायत, मनोरा से अपने नाम उक्त पुराने गृह का पट्टा जारी करवा सकती है। प्रार्थीया ने आवेदन पत्र के साथ मूल पट्टा संख्या 37 जारी दिनांक 29–10–2001 को समर्पण करने हेतु ग्राम पंचायत की पाक्षिक बैठक में प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकरण पर

.....पेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

सदन द्वारा गहन विचार विमर्श कर समर्पण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र मय मूल पट्टा स्वीकार किया जाकर मूल पट्टे को मूल पट्टा बही बुक संख्या 3 में नत्थी करने का निर्णय लिया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी पाया गया कि अप्रार्थी संतोष पत्नी उत्तम जी पुरोहित, निवासी— मनोरा द्वारा ग्राम पंचायत, मनोरा को ग्राम मनोरा के मोहल्ला पोदरवाल में स्थित पुराने मकान का पुराने गृह विनियमितिकरण के तहत पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन करने पर ग्राम पंचायत, मनोरा द्वारा मिसल 04/2013—14 दिनांक 05—8—2013 को दायर की जाकर राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में प्रदत्त प्रावधानों व विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए व पंचायत बैठक दिनांक 20—12—2013 में प्रस्ताव 3 (तीन) पारित करके अप्रार्थी सन्तोष पत्नी उत्तम जी पुरोहित, निवासी— मनोरा के हक में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत पट्टा संख्या 33 दिनांक 17—7—2014 को जारी किया गया है।

इस प्रकार, पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, मनोरा द्वारा पूर्व में श्री कानाराम, कस्तूरमल, धनराज, शान्तिलाल पुत्र चमनाजी पुरोहित, निवासी— मनोरा के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 37 दिनांक 29—10—2001 को उनकी माता श्रीमती चम्पा पत्नी चमना जी पुरोहित, निवासी— मनोरा द्वारा ग्राम पंचायत, मनोरा की बैठक दिनांक 07—01—2013 में उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त पट्टा संख्या 37 दिनांक 29—10—2001 से संबंधित मकान आपसी बंटवाड में संतोष पत्नी उत्तम जी पुरोहित के हिस्से में आने से उक्त मूल पट्टा संख्या 37 दिनांक 29—10—2001 को ग्राम पंचायत, मनोरा में समर्पण किये जाने पर ग्राम पंचायत, मनोरा द्वारा पंचायत की बैठक दिनांक 07—01—2013 के प्रस्ताव संख्या 3 (तीन) के द्वारा श्रीमती चम्पा पत्नी चमना जी पुरोहित, निवासी— मनोरा के उक्त समर्पण प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर उक्त मूल पट्टा संख्या 37 दिनांक 29—10—2001 को ग्राम पंचायत में जमा कर मूल पट्टा बही बुक नम्बर 03 में नत्थी करने का निर्णय ग्राम पंचायत, मनोरा द्वारा पारित किया गया है। उसके बाद अप्रार्थी संख्या 1 (एक) सन्तोष द्वारा उसके हिस्से में आये उक्त विवादित मकान मय भूखण्ड़ का पुराने गृहों के विनियमितिकरण के तहत पट्टा प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत, मनोरा में आवेदन करने पर ग्राम पंचायत, मनोरा द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में प्रदत्त आज्ञापक प्रावधानों व विहित प्रक्रिया के तहत कार्यवाही करते हुए अप्रार्थी संख्या 1(एक) सन्तोष के हक में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत पट्टा संख्या 33 दिनांक 17—7—2014 को जारी किया गया है।

यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी निगरानीकार धनराज पुत्र चमनाजी पुरोहित, निवासी— मनोरा ने ग्राम पंचायत, मनोरा द्वारा उक्त पट्टा संख्या 37 दिनांक 29—10—2001 के समर्पण को स्वीकार करने के पारित प्रस्ताव/निर्णय के विरुद्ध कार्यवाही नही की है। जबकि प्रार्थी की माता श्रीमती चम्पा पत्नी चमना जी पुरोहित, निवासी— मनोरा द्वारा प्रार्थी व उसके भाईयों के संयुक्त नाम से दिनांक 29—10—2001 को जारी उक्त पट्टा संख्या 37 को ग्राम पंचायत, मनोरा की बैठक दिनांक 07—01—2013 में आवेदन प्रस्तुत कर मूल पट्टा संख्या 37 को समर्पण कर दिये जाने से ग्राम पंचायत, मनोरा द्वारा उक्त पट्टा संख्या 37 दिनांक 29—10—2001 के समर्पण प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर उक्त मूल पट्टा संख्या 37 को ग्राम पंचायत में जमा कर दिया जाने के बाद उक्त पट्टा संख्या 37 दिनांक 29—10—2001 का अस्तित्व व प्रभाव समाप्त हो गया व उक्त पट्टा संख्या 37 दिनांक 29—10—2001 से संबंधित भूमि ग्राम पंचायत में निहित हो गई। उसके बाद अप्रार्थी संख्या 1(एक) सन्तोष पत्नी उत्तम जी पुरोहित, निवासी— मनोरा द्वारा उक्त मकान का पुराने गृहों के विनियमितिकरण के तहत पट्टा प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत, मनोरा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर ग्राम

.....पेज छः पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

पंचायत, मनोरा द्वारा विधि अनुरुप कार्यवाही करते हुए अप्रार्थी संख्या 1(एक) सन्तोष के हक में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत पट्टा संख्या 33 दिनांक 17–7–2014 को जारी किया गया है, जिसमें किसी तरह की कोई अनियमितता या अविधिकता प्रतीत नही होती है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी का यह निगरानी आवेदन खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण खारिज किया जाता है। इसी मुताबिक पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 18 मई, 2026 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही